

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0-पि0व0/क्षे0स्था0-15-11/2018 (खण्ड-1)-

पटना, दिनांक-

-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमती प्रिया कुमारी, माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT), विषय-अंग्रेजी, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल का गर्भपात होने का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा दिनांक-07.12.2025 से 18.01.2026 तक गर्भपात अवकाश स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2- बिहार सेवा संहिता के नियम-220 में निहित सुसंगत प्रावधान के आलोक में श्रीमती प्रिया कुमारी, माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT), विषय-अंग्रेजी, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल का गर्भपात होने के कारण दिनांक-07.12.2025 से 18.01.2026 तक कुल-42 दिनों (6 सप्ताह) का गर्भपात अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जाती है।

3- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(गोपाल प्रसाद)

उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि0व0/क्षे0स्था0-15-11/2018 (खण्ड-1)-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :-जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अरवल/कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. श्रीमती प्रिया कुमारी, माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि0व0/क्षे0स्था0-15-11/2018 (खण्ड-1)-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :-आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Signed by Gopal Prasad
Date: 06-02-2026 11:27:47